

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1121

दिनांक 9.12.2003/18 अग्रहायण, 1925 (शक) को उत्तर के लिए

हिन्दी महानिदेशालय
प्रश्न

1121. डा. चरण दास महंत:

क्या उप-प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के मुख्य कार्य क्या है;

(ख) क्या इन्हीं कार्यों के लिए इन संस्थानों का विलय कर एक महानिदेशालय सृजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए इन संस्थानों से शिथिलता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जाने हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई.डी.स्वामी)

(क) : राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, (सी टी बी), असांविधिक मैनुअलों, संहिताओं और प्रक्रिया साहित्य इत्यादि का अनुवाद करता है । यह अनुवाद में प्रशिक्षण भी देता है ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (सी एच डी), वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सी एस टी टी) तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के एच एस), आगरा, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं । संक्षिप्त रूप से उनका कार्य निम्न प्रकार है:-

(i) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार, हिन्दी के साथ विदेशी और प्रादेशिक भाषा के शब्दकोशों, हिन्दी भाषा सिखाने की पुस्तकों के प्रकाशन और हिन्दी सिखलाने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों इत्यादि को चलाने के काम में लगा है ।

(ii) वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सी एस टी टी), विभिन्न विधाओं के तकनीकी विषयों पर हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दकोशों का विकास और उनको अद्यतित करने का काम करता है ।

(iii) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के एच एस) अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी अध्यापकों के साथ ही साथ विदेशियों को हिन्दी भाषा और साहित्य में उच्च शिक्षा हेतु सुविधाएं इत्यादि प्रदान करता है ।

(ख): चारों संस्थानों के उद्देश्य अलग - अलग हैं । तथापि, व्यय सुधार आयोग (ई आर सी) ने अपनी रिपोर्ट में सी एच डी, सी एस टी टी और के एच एस के विलय का सुझाव दिया है ।

(ग): मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई आर सी की सिफारिश की जांच की है और यह मत बनाया है कि इन तीनों संस्थानों के विशिष्ट उद्देश्य अलग-अलग होने के कारण, इन संस्थानों के विलय से इनके कार्यकलापों का फोकस घुंघला जाएगा, यद्यपि ये सामूहिक रूप से हिन्दी को बढ़ावा देने में मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक विभागीय समिति का गठन किया है ।

(घ): कार्यकलापों में आगे और सुधार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर इन तीनों संस्थानों के कार्यकलापों का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है ।